बीजों की श्रेणियां :–

1 प्रजनक बीजः– यह बीज, प्रजनक अथवा प्राधिकृत प्रजनक की सीधी देख–रेख में तैयार किया जाता है एवं/या जिसका उत्पादन सुशिक्षित पादप प्रजनक के पर्यवेक्षण में किया गया हो। प्रजनक बीज अनुवांशिक रूप से इतना शुद्ध होना चाहिये कि उसके, आगामी आधार श्रेणी में अनुवांशिक शुद्वता के निर्धारित मानको के अनुरूप होने की गारंटी हो।

1.1 प्रजनक बीज की मॉनीटरिंग हेतु संबंधित प्रजनक द्वारा प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र बी.एस.पी.–2 में संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी को भेजे जायेंगे। प्रजनक बीज की मॉनीटरिंग टीम में केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड के निर्धारण अनुसार निम्नानुसार सदस्य होंगे–

- संबंधित संभाग के बीज प्रमाणीकरण अधिकारी।
- संबंधित संभाग के बीज उत्पादक संस्था (बीज निगम/राष्ट्रीय बीज निगम) के संभागीय/क्षेत्रीय प्रमुख/क्षेत्र प्रबंधक।
- संबंधित अधिकृत प्रजनक। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रतिनिधि नामित किये जाने पर वे भी इस टीम के सदस्य होंगे।

2 आधार बीज ;थ्वनदकंजपवद ैममकद्ध :– आधार बीज प्रजनक बीज की सन्तति होगी या ऐसे आधार बीज से प्रगुणित किया गया हो जिसका पूर्व पैतृक प्रजनक बीज हो, की पुष्टि हो सके व उसका उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था की देख–रेख में, एवं स्वीकृति से हुआ हो इस प्रक्रिया के दौरान निम्न मापदण्डों का पालन आवश्यक होगा :–

3 प्रजनक बीज से प्राप्त सन्तति आधार–। होगा।

4 ऐसा आधार बीज जो आधार–प् से प्रगुणित किया गया हो वह आधार–प्प् होगा। प्रजनक बीज की आवश्यकतानुसार बीज उत्पादक संस्था के आवेदन पर, बीज प्रमाणीकरण संस्था आधार–। से आधार–।। में बीज उत्पादन कार्यक्रम पंजीकृत कर सकेगी।

5 आधार–।। को पुनः आधार बीज प्रगुणन हेतु उपयोग में नही लाया जा सकेगा।

6 आधार–। व आधार–।। के प्रमाणीकरण मानक, जहां अलग–अलग निध ाारित नही किये गये हो एक समान रहेंगे व दोनो स्तरों के लिये निर्धारित मानकों के सहित सफेद रंग का टैग लगाया जावेगा।

7 प्रमाणित बीज ;ब्मतजपपिमक "ममकद्ध :–

8 प्रमाणित बीज आधार बीज की सन्तति होगी और उसका उत्पादन इस तरह से हाथ में लिया जाएगा जिससे विशेष अनुवांशिक पहचान एवं शुद्धता प्रमाणित की जाने वाली फसल के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार बनायी रखी जा सके।

9 प्रमाणित बीज,प्रमाणित बीज की सन्तति हो सकता है। बशर्ते कि यह पुर्नप्रगुणन आधार–। बीज के बाद तीन पीढ़ी से अधिक न हो और बशर्ते कि बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा यह निश्चित कर लिया गया हो कि अनुवांशिक शुद्धता एवं पहचान सार्थक रूप से परिवर्तित न हुई हो।

10 प्रमाणित बीज के विभिन्न स्तरों के बीजो पर भारतीय न्यूनतम बीज मानकों में निर्धारित आकार व नीले रंग के टैग लगाए जावेंगे ।

11 उस उत्पादन के लिये जो प्रमाणीकरण के अन्तर्गत पुनः बीज प्रगुणन का पात्र नहीं है, टैग पर '' प्रमाणीकरण के अन्तर्गत पुनः प्रगुणन का पात्र नहीं '' शब्द अंकित करना आवश्यक होगा ।

12 बीज उत्पादक संस्थायें/इच्छुक कृषक निम्नानुसार निर्धारित श्रृंखलाओं में से बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु किसी एक का चयन करके तदनुसार फसलों के पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे :–

प्रजनक प्रजनक

आधार प्रथम आधार प्रथम

आधार द्वितीय प्रमाणित प्रथम

प्रमाणित प्रथम प्रमाणित द्वितीय

ख्ख

प्रमाणित द्वितीय

भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानको के अन्तर्गत सामान्य बीज प्रमाणीकरण मानको के प्रावधान ट के ठ के अन्तर्गत.3(क) अनुसार प्रमाणित द्वितीय के टैग पर ‘‘छवज मसपहपइसम वित नितजीनत`ममक

पदबतमेंम नदकमत बमतजपपिबंजपवद'' अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

13. प्रमाणित तृतीय की अनुमति प्रबंध संचालक द्वारा पर्याप्त एवं उचित कारणो के आधार पर दी जा सकेगी।